संख्या-106/2023/702/001-41-2023-263-Budget-2021

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 2023**

विषय:- जनपद वाराणसी में ओवर आल टूरिज्म डेवलेपमेण्ट के अन्तर्गत पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8019/6-1-1(यू0सी0/रा0यो0)/2022-23 दिनांक 25 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. **जनपद वाराणसी में ओवर आल टूरिज्म डेवलेपमेण्ट के अन्तर्गत पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु** उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-017/2022/आई/130534/41-1002(001)/182/2021, दिनांक 07.01.2022 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की अवमुक्त की गयी धनराशि एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादश संख्या-407/2022/1766/001-41-2022-263-बजट-2021 दिनांक 28.06.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	वि0स0क्षे0	यात्रा की कुल लम्बाई	आंकलित लागत	प्रशासकीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति	द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति
1	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (कन्दवा) प्रथम पडाव	रोहनियां	12.00 कि0मी0	रू० 745.06	रू० 722.83 + जी.एस.टी.	रू० 10.00	रू० 350.00
2	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (भीमचन्डी) द्वितीय पडाव	सेवापुरी	12.00 कि0मी0	रू० 879.64	रू० 858.40 + जी.एस.टी.	रू० 10.00	रू० 400.00
3	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (रामेश्वर) तृतीय पडाव	रोहनियां	10.00 कि0मी0	रू० 881.97	रू० 857.63 + जी.एस.टी.	रू० 10.00	रू० 400.00
4	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (शिवपुर) चतुर्थ पडाव	शिवपुर	16.00 कि0मी0	रू० 870.92	रू० 845.22 + जी.एस.टी.	रू० 10.00	रू० 400.00
5	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (कपिलधारा) पंचम पडाव	शिवपुर	12.00 कि0मी0	रू० 655.78	रू० 638.39 + जी.एस.टी.	रू० 10.00	रू० 300.00
योग						रू० 50.00	रू० 1850.00
प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का कुल योग						**रू० 1900.00**	

3. तत्क्रम में महानिदेशक पर्यटन के सन्दर्भगत पत्र दिनांक 25.01.2023 द्वारा उपर्युक्त प्रायोजना हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपभोग करते हुए निविदा लागत, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अन्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत योजना के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पंचम पड़ाव हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में ओवर आल टूरिज्म डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के पर्यटन विकास की परियोजना हेतु तृतीय किश्त के रूप में निम्नांकित विवरणानुसार कॉलम-10 में अंकित कुल धनराशि रू० 1032.07 लाख (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख सात हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रं0	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति	निविदा लागत	सेन्टेज की धनराशि (12.50 प्रतिशत)	लेबरसेस की धनराशि (1 प्रतिशत)	प्रायोजना की वास्तविक लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण	प्रायोजना हेतु अवशेष धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि (लेबरसेस एवं जी.एस.टी. की धनराशि को छोड़कर)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
1	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (कन्दवा) प्रथम पडाव	रू० 722.83 + जी.एस.टी.	रू० 508.66	रू० 63.58	रू० 5.09	रू० 577.33	रू० 360.00	रू० 217.33 + जी.एस.टी.	रू० 212.24 (रू0 दो करोड़ बारह लाख चौबीस हजार मात्र)
2	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (भीमचन्डी) द्वितीय पडाव	रू० 858.40 + जी.एस.टी.	रू० 637.83	रू० 79.73	रू० 6.38	रू० 723.94	रू० 410.00	रू० 313.94 + जी.एस.टी.	रू० 307.56 (रू0 तीन करोड़ सात लाख छप्पन हजार मात्र)
3	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (रामेश्वर) तृतीय पडाव	रू० 857.63 + जी.एस.टी.	रू० 638.90	रू० 79.86	रू० 6.39	रू० 725.15	रू० 410.00	रू० 315.15 + जी.एस.टी.	रू० 308.76 (रू0 तीन करोड़ आठ लाख छिहत्तर हजार मात्र)
4	पंचकोसी परिक्रमा यात्रा (कपिलधारा) पंचम पडाव	रू० 638.39 + जी.एस.टी.	रू० 456.45	रू० 57.06	रू० 4.56	रू० 518.07	रू० 310.00	रू० 208.07 + जी.एस.टी.	रू० 203.51 (रू0 दो करोड़ तीन लाख इक्यावन हजार मात्र)
								कुल योग	**रू० 1032.07 (रू0 दस करोड़ बत्तीस लाख सात हजार मात्र)**

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 07.01.2022 एवं दिनांक 28.06.2022 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक),अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कार्य की आवश्यकता से अधिक धनराशि कार्यदायी संस्था को नहीं उपलब्ध करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 नवम्बर, 2022 का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना में तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्थाएवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुये (तिथि सहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 10,32,07,000 (रूपये दस करोड़ बत्तीस लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 5452801044600 वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- प्रबंध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल0, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0पी0सी0एल0, वाराणसी ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- उप निदेशक, पर्यटन वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।